दिल्ली विकास प्राधिकरण

(वित्त एंव व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 11 /2018

विषय :- एल.टी.सी. यात्रा के लिए अधिकृत एजेंट से टिकट बुक करवाने के संबंध में।

एल.टी.सी. से सम्बंधित निम्नलिखित आदेश/परिपत्र ज्ञापन का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना हैं।

क्रमांक	कार्यालय ज्ञापन का विवरण	विषय वस्तु
1.	सं.31011/3/2014-स्था.(ए.IV) दिनाँक 19.09.2016	केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 - उत्तर पूर्व क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार के भ्रमण हेतु हवाई जहाज से यात्रा करने में छूट।
2.	19024/22/2017-ई.IV दिनाँक 19.07.2017	आधिकारिक पर्यटन पर हवाई यात्रा पर दिशानिर्देश - अधिकृत एजेंट से हवाई टिकट की खरीद।
3.	19030/1/2017 ई-IV दिनाँक 13.07.2017	यात्रा भत्ता नियम - सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन।

इस संदर्भ में सभी डी.डी.ओ को निर्देश दिया जाता है कि वे किसी भी अधिकारी/कर्मचारीयों को अग्रिम एल.टी.सी. देने से पहले अंडरटेकिंग लेगें कि वह एयर इंडिया / हवाई कम्पनी से सीधे टिकट बुक करायेंगे अथवा तीन अधिकृत एजेंट जोकि बॉमर लॉरी और कम्पनी, अशोक ट्रेवलस और आई.आर.सी.टी.सी. हैं, के अतिरिक्त किसी निजी एजेंसी से टिकट बुकिंग नही कराएगें। अगर अधिकारी/कर्मचारी किसी निजी एजेंसी से टिकट बुक करवाते हैं तो वह एल.टी.सी. के हकदार नहीं होंगे और जो एडवांस दिया गया है उन्हें ब्याज सहित वापिस करना होगा।

हवाई यात्रा के लिए गैर पात्र कर्मचारी जब अण्डमान निकोबार/उत्तर पूर्व एल.टी.सी. का दावा करते हैं तो दिल्ली से कलकता/चेन्नई व कलकता/चेन्नई से दिल्ली अपनी पात्रता अनुसार अर्थात रेल द्वारा ही यात्रा करेंगे।

(मृत्युंजय झा)
मुख्य लेखा अधिकारी

FE. 5(35)2016/7th CPC/DDA/261 दिनाँक :- 22/05/18

प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष/ वित्त सदस्य/ अभीयांत्रिकी सदस्य/ के निजी सचिव ;
2. सभी प्रधान आयुक्त/ मुख्य सतर्कता अधिकारी/ मुख्य कानुनी सलाहकार ;
3. सभी आयुक्त/ आयुक्त एवं सचिव/ मुख्य अभियंता ;
4. वित्तीय सलाहकार(आवास)/ निदेशक(वित्त)/ कार्मिक ;
5. सभी उप मुख्य लेखाधिकारी ;
6. सभी सह वितरण अधिकारी/ वरि. लेखाधिकारी (खेल)/ संस्थापना अराजपत्रित अभीयांत्रिकी/ योजना लेखाधिकारी (योजना संस्थापना) ;
7. गार्ड फ़ाइल।
8. N. Board / Vikas Sadan / Vikas Minar.

Scanned by CamScanner